

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही प्रथम इनिशियल्स जज

07/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
नियम/RO. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत
कार्य की पालना में दिनांक 29/11/25
को पेश हो।

[Signature]

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपत्र (उप) द्वारा
जवाब अर्थात् 3 पत्रावली दिनांक 12/11/2025
को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांबीकुई (सीमा)

14/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
नियम/RO. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत
कार्य की पालना में दिनांक.....
को पेश हो।

हस्ताक्षर रोहर

15/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपत्र अर्थात्
03 द्वारा जवाब पेश नहीं। अर्थात् अर्थात् 03 का
जवाब रफ डिपॉजिट आता है। प्रा-पत्र अस्थायी निवेदन
पर वकील उद्यमपत्र द्वारा बहल की गयी। बार
अर्थात् पत्रावली दिनांक 15/11/2026 को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
बांबीकुई

16/11/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपत्र (उप) द्वारा
अस्थायी निवेदन पर वकील उद्यमपत्र की बहल पर
मनना (सी) प्रा-पत्र अस्थायी निवेदन एवं दावा
पत्रावली का अक्लेशन किया। मूल दावा तक्रार
एवं अस्थायी निवेदन का ही मूल दावा के विषय

[Signature]

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

क्लेक्टर

मुकाम

बांकीपुर

.....
 किरम मुकदमा प्रांशु अस्थायी निषेधाज्ञा No 130 ... 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>कार 2025</p>	<p>निरस्तारण होने तक अप्राथमिक द्वारा श्रुति गलत में मजालूमतपेदा अर्थात् अदेशा के मध्यमजल प्रांशु अस्थायी निषेधाज्ञा कर्म में लिया जाना अनिष्ट प्रतीत होता है। अतः क्वील उभयपक्ष बहस पर मजबूत अर्थात् पत्रावली के अन्तर्गत के आधार पर प्रश्न में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा अदेशा दिनांक 11/03/2024 को तापेंसला मूलवाट के अन्तर्गत लिया जाना है प्रश्न के व श्रुति होकर वाट मील हा खिले दफ्तार हो।</p>	<p>— 16-1-26 उपखण्ड अधिकारी बांकीपुर</p>